



राजस्थान सरकार

No Mask-No Entry

अतिआवश्यक

माल्य उपखण्ड अधिकारी एवं उपजिला मजस्ट्रेट अरांई, जिला अजमेर

E-Mail:- sdoarain@gmail.com

sdoarain.rev@rajasthan.gov.in

प्रशासन गांवों के संग अभियान 2021

पीठासीन अधिकारी श्री खेमाराम यादव

कैम्प कोर्ट कालानाडा दिनांक 06/12/2021 क्रमांक 93/2021 (राजस्वशांख)

उनवान शमाकेशन 1/5 सरकार

आदेश

पत्रावली राजस्थान सरकार राजस्व ग्रुप-1 विभाग के आदेश क्रमांक प(12)2
 राज-1/2020 दिनांक 24.09.2021 की पालना में आज दिनांक 06.12.2021 को कैम्प
 कोर्ट कालानाडा में पेश हुई वादी व प्रतिवादी उपः। पत्रावली का अवलोकन
 किया गया। प्रार्थी द्वारा उक्त शांख क्रमांक 93/2021 उनवान शमाकेशन 1/5 सरकार
 में ग्राम दौलपुरिया स्थित कृषि भूमि खाता सं. 77 खसरा सं. 851/652, खसरा
 सं. 181 ख.न. 442, खाता सं. 299 खसरा सं. 291 में कृमशः श्री किशन
 पुत्र दौला, शमाकेशन पुत्र दौला व शमाकेशन पुत्र दौला, उक्त सभी के प्तान
 पर सभी खातों में शमाकेशन पुत्र दौला कखाने की प्रार्थना की है। सम्बन्धित
 पटवारी भू.भ.नि. व तहसीलदार अरांई ने उक्तानुसार शुद्धी की अनुशोधा की है।
 मजमे आम में प्रार्थी को सुना गया। संलग्न दस्तावेजों का अवलोकन किया गया।
 अतः संलग्न दस्तावेजों व ~~व~~ पैरोकार सरकार रिपोर्टनुम्बर प्रार्थी का प्रार्थना
 पत्र स्वीकार किया जाता है तथा तहसीलदार अरांई को ग्राम दौलपुरिया पत्वार
 हल्का कालानाडा भू.भ.नि. भोगावित स्थित कृषि भूमि खाताल. 77 खसरा
 सं. 851/652 खाता सं. 181 खसरा नम्बर 442 व खाता सं. 299 खसरा सं. 291
 उपरोक्त सभी खातों में श्री किशन पुत्र दौला व शमाकेशन पुत्र दौला के स्थान पर
 शमाकेशन पुत्र दौला करने के आदेश दिये जाते हैं। प्रार्थना पत्र फौसल
 थुमार से कम है



06/12/2021

शिविर प्रभारी
उपखण्ड अधिकारी
अरांई (अजमेर)